



ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
(भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय)
BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY
(Government of India, Ministry of Power)



चिलर्स के पूर्व-प्रकाशित विनियमों के संबंध में अलर्ट

Alert regarding Pre-published Regulations of Chillers

31st October, 2022

जैसा कि आप जानते होंगे कि चिलर्स का स्टार लेबलिंग कार्यक्रम 1 जनवरी, 2023 से अनिवार्य हो जाएगा। इस संबंध में, कृपया निम्नलिखित पर ध्यान दें:

As you may be aware that the star labelling program of Chillers will become mandatory with effect from 1st January, 2023.

In accordance with the provisions of the EC Act, the draft regulations for Chillers regarding the changeover to mandatory regime of star labelling has been pre-published in the Gazette of India vide F.No. BEE/S&L/Chillers/40/2022-23 dated 28th October, 2022.

Please note that the said draft regulations are open for public comments for a period of 30 days from 28th October, 2022. (A copy of the pre-published regulation is attached with this Alert)

Comments if any, on the draft regulations, may please be sent to deepshikha@beenet.in

Please note: Last date of receiving the comments is 27th November, 2022.

प्र. सामल
प्रभातनलिनी सामल
निदेशक



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29102022-239946
CG-DL-E-29102022-239946

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 532]
No. 532]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 28, 2022/ कार्तिक 6, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 28, 2022/ KARTIKA 6, 1944

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2022

फा. सं. बीईई/एसएंडएल/चिल्लर्स/40/2022-23.—ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 (2001 का 52) की धारा 13 की उपधारा (2) के खंड (ढ) के साथ पठित धारा 58 की उपधारा (2) के खंड (झ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ब्यूरो) केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से विनियमों अर्थात् “ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (चिल्लर्स के लेबल पर विवरण और उसके प्रदर्शन का तरीका) विनियम 2022” का निम्नलिखित प्रारूप बनाने का प्रस्ताव करता है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 58 की उप-धारा (1) द्वारा यथा-अपेक्षित उक्त विनियमों के प्रारूप को उन सभी व्यक्तियों की के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है, जिनको इससे प्रभावित होने की संभावना है; और एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त विनियमों के प्रारूप पर हैं, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा; है जिसे उक्त अधिनियम की धारा 58 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; और नोटिस दिया जाता है कि उक्त विनियमों के प्रारूप पर, अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके बाद विचार किया जाएगा;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, तो उसे महानिदेशक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, विद्युत मंत्रालय, चौथा तल, सेवा भवन, आर के पुरम, सेक्टर-1, नई दिल्ली-110 066 को प्रेषित किए जा सकते हैं;

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा उक्त विनियमों के प्रारूप के संबंध में किसी भी व्यक्ति से पैरा 1 में विनिर्दिष्ट 30 दिन की अवधि की समाप्ति से पहले प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर विचार किया जाएगा।

विनियमों का प्रारूप

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (चिल्लर्स के लेबल पर विवरण और उसके प्रदर्शन का तरीका) विनियम, 2022 है।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ—(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) "अधिनियम" से तात्पर्य ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) है ;
- (ख) "बेसिक मॉडल ग्रुप (बीएमजी)" से तात्पर्य उन मॉडलों का समूह है जिनकी विशेषताएं समान हैं और जो एक मॉडल के प्रदर्शन को समूह के भीतर अन्य मॉडलों के प्रदर्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं। शीतलन क्षमता की एक निश्चित सीमा के भीतर, एक बीएमजी में वे चिल्लर मॉडल शामिल होंगे, जो आईएसईईआर के संदर्भ में समान ऊर्जा प्रदर्शन के साथ एक ही स्टार लेबल बैंड में रखे होंगे।
- (ग) "पेरेंट मॉडल" संबंधित बीएमजी की शीतलन क्षमता सीमा के भीतर किलोवाट में उच्चतम शीतलन क्षमता वाला एक चिल्लर मॉडल होगा।
- (घ) "चाइल्ड मॉडल" की कूलिंग क्षमता किलोवाट में होगी, जो उसी बीएमजी में मूल मॉडल की कूलिंग क्षमता से कम होगी।
- (ङ.) "प्ररूप" से तात्पर्य उन विनियमों के साथ संलग्न प्ररूप है;
- (च) "लेबल" से तात्पर्य चिल्लर पर चिपकाई गई अथवा प्रदर्शित, लिखित, मुद्रित, अंकित, मुहर लगी या ग्राफिक सामग्री है ;
- (छ) "लेबल की अवधि" से तात्पर्य अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ऊर्जा खपत मानकों की वैधता अवधि है:

बशर्ते कि यदि लेबल वैधता अवधि की समाप्ति समय तक, अधिनियम की धारा 14 (क) के तहत नए ऊर्जा खपत मानकों को अधिसूचित नहीं किया जाता है तो मौजूदा मानकों को तब तक वैध माना जाएगा जब तक कि केन्द्रीय सरकार द्वारा इसके लिए नए मानक अधिसूचित नहीं किए जाते;

- (ज) "अनुज्ञा प्राप्त व्यक्ति" से तात्पर्य उस व्यक्ति या एजेंसी से है जिसे विनियम 7 के तहत लेबल चिपकाने की अनुज्ञा दी गई है;
- (झ) "अनुसूची" से तात्पर्य इन विनियमों से जुड़ी अनुसूची है ;
- (ञ) "चिल्लर्स" से तात्पर्य अधिनियम की धारा 14 के खंड (ख) के तहत अधिसूचना में विनिर्दिष्ट एक उपकरण है;
- (ट) "स्टार रेटिंग या स्टार लेबल" से तात्पर्य है अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित आईएसईईआर के आधार पर चिल्लर के लेबल पर प्रदर्शित ऊर्जा दक्षता का ग्रेड;
- (ठ) लेबल लगे चिल्लर के संबंध में "व्यापारी या विक्रेता" से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो ऐसे चिल्लर की बिक्री अथवा वितरण करता है और इसमें दुकानदार, व्यापारी, विनिर्माता और इस पर लेबल चिपकाने के लिए अनुज्ञा प्राप्त अनुज्ञाधारक शामिल हैं।

(2) यहां इसमें प्रयुक्त जो शब्द और अभिव्यक्तियां अपरिभाषित हैं लेकिन अधिनियम में परिभाषित की गई हैं उनका अधिनियम में उन्हें क्रमशः दिया गया आशय ही होगा।

3. लेबल पर प्रदर्शित किया जाने वाला विवरण (1) प्रत्येक चिल्लर पर, इसके लेबल पर निम्नलिखित विवरण प्रदर्शित किया जाएगा, नामतः—

- (क) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का प्रतीक चिह्न;
- (ख) उपकरण / प्रकार;
- (ग) विनिर्माता या आयातक और ब्रांड का नाम;

- (घ) बीएमजी/मॉडल/विनिर्माण या आयात का वर्ष;
- (ङ.) विशिष्ट श्रृंखला कोड;
- (च) शीतलन प्रौद्योगिकी;
- (छ) कंप्रेसर प्रकार;
- (ज) ठंडा करने की क्षमता;
- (झ) आईएसईईआर;
- (ञ) कुल बिजली इनपुट;
- (ट) लेबल की अवधि;
- (ठ) मूल देश

(2) लेबल का डिजाइन, रंग, आकार और सामग्री इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची में यथा विविनिर्दिष्ट होगा।

4. लेबलों के प्रदर्शन के लिए समय सीमा- (1) विनियम 3 में विविनिर्दिष्ट सभी विवरणों वाला लेबल इन विनियमों के लागू होने की तारीख से छह माह की अवधि के भीतर प्रत्येक चिल्लर पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के तहत अधिसूचित ऊर्जा खपत मानकों के आरंभ होने पर और आरंभ होने से, प्रत्येक अनुज्ञाधारक या व्यापारी या विक्रेता सुनिश्चित करेगा कि-

(क) बिक्री के लिए डिज़ाइन किए जा रहे चिल्लर संशोधित ऊर्जा खपत मानकों के साथ स्टार लेबल और लेबल अवधि और ऊर्जा खपत मानकों के साथ चिल्लर के निर्माण वर्ष को प्रदर्शित करेगा तथा पिछले ऊर्जा खपत मानकों के साथ चिल्लर का उत्पादन नहीं करेगा;

बशर्ते कि इसके प्रारंभ होने की तारीख से दो माह पूर्व विनिर्माता ऊर्जा निष्पादन मानकों के साथ उपकरण का उत्पादन या आयात कर सकता है। ;

(ख) डीलरों, खुदरा व्यापारियों को जानकारी देने के लिए, उनको शिक्षित करने के साथ ही उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के लिए अपेक्षित प्रचार-प्रसार सहित सभी प्रारंभिक कदम इसके आरंभ होने से तीन माह पहले उठाए जाने चाहिए।

5. लेबल प्रदर्शित करने की प्रविधि - (1) बिक्री के स्थान पर प्रत्येक चिल्लर पर निम्नलिखित तरीके से लेबल चिपकाया जाएगा, अर्थात्: —

- (i) लेबल चिल्लर पर और उसकी नामपट्टिका के पास मजबूती से चिपकाया जाएगा।
- (ii) लेबल टिकाऊ सामग्री (एल्यूमीनियम एनोडाइज्ड) का होगा और नीचे दिए गए आकार के अनुसार मुद्रित किया जाएगा। संक्षारण प्रतिरोधी सामग्री की नामपट्टिका चिल्लर पर चिपकाई जाएगी। अनुसूची द्वारा अपेक्षित अंकन सुपाठ्य, अमिट और टिकाऊ होने चाहिए।

6. लेबल प्रदर्शित करने की अनुज्ञा- (1) ब्यूरो की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किए बिना किसी चिल्लर पर कोई स्टार लेबल नहीं चिपकाया जाएगा।

(2) कंपनी पंजीकरण - ब्यूरो की अनुज्ञा प्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए, प्रत्येक ब्रांड को एक लाख रुपए के लेबल प्रतिभूति शुल्क के साथ, अलग से पंजीकृत किया जाएगा जैसा कि प्ररूप 1 - (क) में विनिर्दिष्ट किया गया है, भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा देय है:

बशर्ते कि लघु उद्योग के मामले में लेबल प्रतिभूति शुल्क केवल पच्चीस हजार रुपए होगा;

(3) मॉडल पंजीकरण- उप-विनियम (2) के तहत अनुज्ञाधारक के प्रत्येक आवेदन के साथ—

- (क) भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा देय प्रति मॉडल दो हजार रुपए का आवेदन शुल्क; तथा
- (ख) प्ररूप-1 - (ख) में यथा विविनिर्दिष्ट दस्तावेज

7. अनुज्ञा प्रदान करना - (1) विनियम 6 के तहत कोई आवेदन प्राप्त होने पर और इससे संतुष्ट पर कि इसमें दी गई सभी अपेक्षाओं का पालन किया गया है, ब्यूरो मानक और लेबलिंग पर ऐसी प्राप्ति की तारीख से दिशा (ब्यूरो के ऑपरेशन मैनुअल ऑन स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग) में विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर, विनियम 8 में यथा विनिर्दिष्ट नियमों एवं शर्तों के अधीन के लिए अनुज्ञा प्रदान करता है,—

(क) प्ररूप II-(क) में इलेक्ट्रॉनिक रूप में ब्रांड पंजीकृत करना; या

(ख) प्ररूप II-(ख) में इलेक्ट्रॉनिक रूप में चिल्लर पर लेबल लगाने की अनुज्ञा देना।

(2) ब्यूरो द्वारा प्ररूप-III में रजिस्टर का अनुरक्षण किया जाएगा और इसमें अनुज्ञाधारक का नाम प्रविष्ट किया जाएगा;

(3) उप-विनियम (1) के तहत इस प्रकार प्रदत्त अनुज्ञा उस अवधि तक मान्य होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 14 के खण्ड (क) के तहत यथा: अधिसूचित ऊर्जा खपत मानक द्वारा स्टार लेवल के लिए विनिर्दिष्ट की गई है;

(4) अनुज्ञाधारक द्वारा स्टार रेटिंग योजना के संशोधन के मामले में, अनुज्ञा के नवीनीकरण का आवेदन इसकी समाप्ति के छह माह बाद लेकिन तीन माह से पहले नहीं किया जाएगा और इसके साथ ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के पक्ष में इलेक्ट्रॉनिक मोड में एक हजार रुपए का शुल्क देय होगा।

वशर्ते, स्टार रेटिंग योजना के विस्तार के मामले में, एक हजार रुपए के उक्त नवीनीकरण शुल्क से छूट दी जाएगी।

(5) उप-विनियम (4) के तहत नवीकरण के लिए आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर और सभी अपेक्षाएं पूरी होने के संबंध में संतुष्ट होने पर, ब्यूरो उक्त आवेदन प्राप्त होने की तारीख से एक माह की अवधि के अंदर प्ररूप-II में अनुज्ञा का नवीकरण कर सकता है;

(6) वैधता की अवधि समाप्त होने के बाद किसी आवेदन का नवीकरण नहीं किया जाएगा और इस मामले में अनुज्ञाधारक को नया आवेदन पत्र देना होगा;

(7) जो अनुज्ञाधारक उस तारीख से चिल्लर के मौजूदा मॉडल पर लेबल चिपकाने को जारी रखने की अनुज्ञा की मांग करता है, जिस तारीख से संशोधित स्टार लेवल लागू हुआ है, केवल प्ररूप IV में एक घोषणा प्रस्तुत करेगा;

(8) यदि चिल्लर के नए मॉडल की योजना संशोधित स्टार लेवल के साथ ताल-मेल बिठाकर शुरू करने की योजना है तो अनुज्ञाधारक को नया लेबल चिपकाने की अनुज्ञा लेगा और उक्त अनुज्ञा के लिए आवेदन संशोधित स्टार लेवल के लागू होने से छह माह पूर्व किया जाए;

8. लेबल पर विवरण प्रदर्शित करने के लिए नियम और शर्तें:- प्रत्येक अनुज्ञाधारक और व्यापारी एवं विक्रेता लेबल पर विवरण प्रदर्शित करने में निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों का पालन करेगा, नामतः—

(क) चिल्लर के लेबल पर प्रदर्शित स्टार लेवल अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (क) के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित चिल्लर के लिए ऊर्जा खपत मानकों के अनुरूप होंगे;

(ख) यह लेबल चिल्लर के ऐसे मॉडलों पर ही चिपकाया जाएगा जिसके लिए अनुज्ञा ली गई है;

(ग) लेबल को अनुज्ञाधारक की लागत पर मुद्रित और चिल्लर पर चिपकाया जाएगा;

(घ) अनुज्ञाधारक, व्यापारी और विक्रेता यह सुनिश्चित करेगा कि चिल्लर पर लेबल पर प्रदर्शित स्टार लेवल हर समय बना रहेगा;

(ङ) अनुज्ञाधारक विनियम 9 में यथा-विनिर्दिष्ट लेबल शुल्क का भुगतान करेगा;

(च) अनुज्ञाधारक ब्यूरो को विवरण मुहैया कराएगा जिसमें लेबल लगे उपकरणों को बनाने का व्यौरा और वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के अंत में निम्नलिखित माह के अंदर प्रत्येक तिमाही के लिए देय प्रोद्भूत लेबलिंग शुल्क का विवरण हो;

(छ) अनुज्ञाधारक, ब्यूरो को अपने लेबल लगे उत्पादों की बिक्री के लिए नियुक्त प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को अधिकृत वितरकों, डीजरो और थोक विक्रेताओं एवं विक्रेताओं की सूची मुहैया कराएगा;

(ज) ऐसे अन्य नियमों एवं शर्तों का पालन करेंगे जो ब्यूरो द्वारा, मानक और लेबलिंग के संबंध में ब्यूरो की प्रचालन पुस्तिका दिशा में निहित नियमों एवं शर्तों सहित विनिर्दिष्ट किए गए हों;

9. लेबल शुल्क - (1) प्रत्येक अनुज्ञाधारक को चिल्लर पर प्रत्येक चिपकाए जाने वाले प्रत्येक लेबल के लिए केवल 3/- रुपए प्रति किलोवाट का एक लेबल शुल्क का भुगतान करेगा;

(2) उप-विनियम (1) के तहत विविनिर्दिष्ट लेबल शुल्क प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख से एक माह के अंदर वार्षिक रूप से किया जाएगा;

बशर्ते कि यथा-विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर लेबल शुल्क का भुगतान न करने पर, ब्यूरो विनियम 6 के उप-विनियम (3) के खण्ड (ख) के तहत प्रतिभूति राशि से इस पर प्रतिवर्ष दस प्रतिशत की दर से इस पर ब्याज का भुगतान करेगा और यदि इसे जमा किए जाने की अंतिम तारीख से एक माह के अंदर पूरा लेबलिंग शुल्क वसूल नहीं किया जाता, ब्यूरो अनुज्ञाधारक को प्रदत्त सभी अनुज्ञा रद्द कर सकता है और अनुज्ञाधारक का नाम चूककर्ता के रूप में समाचार पत्र में प्रकाशित कर सकता है।

10. लेबल प्रतिभूति शुल्क का प्रतिदाय:- विनियम 9 के उप-विनियम (2) के प्रावधान के अधीन, अनुज्ञाधारक को चिल्लर का विनिर्माण बंद करने पर लेबल प्रतिभूति शुल्क के प्रतिदाय का अधिकार होगा।

11. ब्यूरो द्वारा सत्यापन- चिल्लर विनिर्माता ऑनलाइन बीईई पोर्टल में त्रैमासिक रूप से स्टार रेटिंग कार्यक्रम के तहत पंजीकृत चिल्लर के बारे में चिल्लर उत्पादन कार्यक्रम और वितरण कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा।

- (1) चिल्लरों का परीक्षण या तो एनएबीएल द्वारा विधिवत प्रत्यायन प्राप्त विनिर्माता परीक्षण प्रयोगशाला में या एनएबीएल द्वारा विधिवत प्रत्यायन प्राप्त किसी तीसरे पक्ष/स्वतंत्र परीक्षण प्रयोगशाला में या एपीएसी और/या आईएलएसी के साथ एमआरए वाले किसी अन्य प्रत्यायन निकाय में आयोजित किया जाएगा।
- (2) बीईई के प्रतिनिधि की उपस्थिति में एनएबीएल द्वारा विधिवत प्रत्यायन प्राप्त स्वतंत्र परीक्षण प्रयोगशाला / इन-हाउस विनिर्माता की परीक्षण प्रयोगशाला में चिल्लर के लिए जांच परीक्षण आयोजित किया जाएगा।
- (3) ब्यूरो अथवा इसकी नामोद्दिष्ट एजेंसी, स्वयमेव अथवा इसे शिकायत प्राप्त होने पर, यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन करेगा कि चिल्लर इसके लेबल पर प्रदर्शित स्टार लेवल और अन्य विवरण के अनुरूप है और कि यह अनुज्ञा के अन्य नियमों एवं शर्तों के अनुपालन में है।

बशर्ते चुनौती परीक्षण की प्रक्रिया वही होगी जो विनियम (11) के उप-विनियम (3) में उल्लिखित है।

- (4) चिल्लर मॉडल के लिए प्राप्त शिकायत पर, ब्यूरो/नामित एजेंसी बीईई द्वारा दिए गए अनुमोदन की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए विनिर्माता के परिसर में परीक्षण रिकॉर्ड का सत्यापन करेगी।

- (5) जाँच परीक्षण के दौरान, चिल्लर विफल होने पर:

- (क) प्ररूप V, में अनुज्ञाधारक को सभी राज्य नामोद्दिष्ट एजेंसियों को निदेश देगा कि अनुज्ञाधारक दो माह की अवधि के अंदर,
 - (i) चिल्लर के लेबल पर सही स्टार लेवल प्रदर्शित करेगा अथवा परीक्षण के दौरान त्रुटियों और खराबियों को दूर करेगा;
 - (ii) ब्यूरो के दिशा- निर्देशों के अनुपालन में बाजार से सभी स्टॉक को वापस लेगा; और
 - (iii) विज्ञापित सामग्री पर प्रदर्शित विवरण में परिवर्तन करेगा।
- (ख) उपभोक्ताओं के लाभ के लिए, दो माह के अंदर अनुज्ञाधारक का नाम, ब्राण्ड का नाम, मॉडल का नाम अथवा मॉडल संख्या, प्रतीक चिह्न और अन्य विविनिर्दिष्टता किसी दैनिक राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय समाचारपत्र अथवा इलेक्ट्रॉनिक अथवा यथोचित किसी अन्य तरीके से प्रकाशित करेगा।
- (ग) बीईई चिल्लर मॉडल और संबद्ध बेसिक मॉडल ग्रुप की मंजूरी रद्द करेगा।
- (घ) संबंधित राज्य नामोद्दिष्ट एजेंसी को इसी अधिनियम, 2001 की धारा 27 के तहत अनुज्ञाधारक और व्यापारी के खिलाफ न्यायिक कानूनी कार्रवाई करने की सूचना दें।
- (ङ.) विनिर्माता की घोषणा के अनुसार गैर-अनुपालन के मामले में, विनिर्माता को संबंधित बेसिक मॉडल ग्रुप के लिए डी-रेटेड सीओपी / आईएसईईआर के साथ फिर से एक नया आवेदन जमा करना होगा।

टिप्पणी : उत्पाद की प्रकृति को अनुकूलित किया जा रहा है, सत्यापन प्रक्रिया केवल एकल जांच परीक्षण पर आधारित होगी। किसी भी विफलता के मामले में ब्यूरो का निर्णय विनियम (11) के उप-विनियम (5) के खंड (क) से खंड (ड.) के अनुसार किया जाएगा।

(6) अनुज्ञाधारी, उप-विनियम (5) में विनिर्दिष्ट दो माह की अवधि की समाप्ति के दस दिनों के अंदर, निर्देश के अनुपालन में की गई कार्रवाई के संबंध में प्ररूप VI में अनुपालन रिपोर्ट ब्यूरो को भेजेगा।

12. अनुज्ञा निरस्त करना - ब्यूरो विनियम 7 के तहत प्रदत्त अनुज्ञा को निरस्त कर सकता है, यदि अनुज्ञाधारक,

(क) विनियम 8 के तहत विनिर्दिष्ट किसी नियम और शर्त का पालन नहीं करता;

(ख) विनियम 9 के तहत विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर लेबल शुल्क का भुगतान नहीं करता;

(ग) विनियम 11 के तहत जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं करता।

अभय बाकरे, महानिदेशक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

[विज्ञापन-III/4/असा./354/2022-23]

अनुसूची

[देखें विनियमन 3 के उप-विनियम (2)]

चिल्लर के लेबल पर विवरण और उनके प्रदर्शन का तरीका

1. लेबल डिजाइन (अभिकल्प)




(i) आयाम (डाइमेंशन)

(ii) लेबल के लिए रंग योजना :

नेवी ब्लू - C 97, M 95, Y 6, K 1

हरा - C 81, M 10, Y 90, K 1

टिप्पणी : ब्यूरो का प्रतीक चिह्न और स्टार फिलर के नीचे केवल हरे रंग में तथा सभी फोंट एवं ब्यूरो के प्रतीक चिह्न का शीर्ष नेवी ब्लू में



(iii) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ऊर्जा दक्षता ब्यूरो) के प्रतीक चिह्न की रंग योजना:

नीला -

रंगत (H) -239o संतृप्ति (S): 64% चमकीलापन (B): 59%

ज्योतिर्मयता या हल्कापन (L): 28, रंग संबंधी घटक - a:24 b:54

लाल (R): 54 हरा (G): 55 नीला (B): 151

सियान (C): 97% मैजेंटा (M): 95% पीला (Y): 6% काला (K): 1%

वेब रंग कोड - # 363797;

हरा-

रंगत (H) -150o संतृप्ति (S): 10% चमकीलापन (B): 67%


ज्योतिर्मयता या हल्कापन (L): 61, रंग संबंधी घटक- a:53 b:32

लाल (R): 0 हरा (G): 170 नीला (B): 87

सियान (C): 81% मैजेंटा (M): 10% पीला (Y): 90% काला (K): 1%

वेब रंग कोड - # 00AA56;

(iv) चिल्लर के मुद्रित लेबल के लिए पूरा नमूना निम्न है: अर्थात्—



2. लेबल सामग्री

लेबल टिकाऊ सामग्री (एल्यूमीनियम एनोडाइज्ड) का होगा और लेबल के लिए आयाम और डिज़ाइन को योजना में दिखाई गई रूपरेखा के अनुसार मुद्रित किया जाएगा। संक्षारण प्रतिरोधी सामग्री की नाम पट्टिका चिल्लर पर स्थायी रूप से चिपकाई जाएगी। अनुसूची द्वारा अपेक्षित अंकन सुपाठ्य, अमिट और टिकाऊ होने चाहिए।

प्रपत्र I - (क)

[देखें विनियम 6 का उपनियम (2) देखें]

(कंपनी के लेटर हेड में प्रिंट किया जाए)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (चिल्लर के लेबल पर विवरण और उनके प्रदर्शन का तरीका) विनियम, 2022 के तहत चिल्लर के ब्रांड के पंजीकरण के लिए आवेदन

सेवा में,

महानिदेशक

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो,

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)

चौथा तल, सेवा भवन,

सेक्टर-1, आर.के. पुरम,

नई दिल्ली - 110 066,

भारत

- मैं/हम चिल्लर के विनिर्माणकर्ता/विनिर्माता हूँ/हैंमें..... (कारोबार का पूरा नाम).....अभिनाम से (व्यक्ति या फर्म का पूरा नाम)से कारोबार चला रहा हूँ/चला रहे हैं, एतद्वारा चिल्लर पर लेबल चिपकाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन करता हूँ/करते हैं जैसा कि ब्यूरो

द्वारा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में विविनिर्दिष्ट किया गया है (चिल्लर पर लेबल के उनके संप्रदर्शन का विवरण और तरीका) विनियमन 2022।

2. उपकरण, कंपनी, निर्माण सुविधा और भुगतान के संबंध में जानकारी का विवरण अनुबंध-1 में दिया गया है। फर्मों या समितियों के रजिस्ट्रार या उद्योग निदेशक (लघु उद्योग इकाइयों की दशा में) द्वारा जारी किए गए निगमन प्रमाण पत्र या फर्म के नाम तथा उसके विनिर्माणकारी परिसरों को अधिप्रमाणित करने वाले उसी प्रकार के अन्य दस्तावेजों की एक फोटोकॉपी संलग्न की जाती है।

(क) आवेदक/अधिकृत व्यक्ति:को (नाम और पदनाम) कंपनी/फर्म आदि की ओर से इस आवेदन को करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है और वह इस आवेदन में दी गई जानकारी की सत्यता एवं सटीकता के लिए उत्तरदायी होगा।

(ख) संपर्क व्यक्तिका (नाम और पदनाम) इस आवेदन और लेबल के उपयोग के संबंध में ब्यूरो के साथ समन्वय के लिए संपर्क व्यक्ति प्राधिकृत किया जाता है।

(ग) मैं/हम उपरोक्त (क) या (ख) में परिभाषित प्राधिकृत व्यक्तियों में किसी भी परिवर्तन या बदलाव को जैसे ही यह होता है, ब्यूरो को संसूचित करने का वचन देता हूँ/देते हैं।

3. उक्त उपस्करों के उत्पादन और विक्रय के आंकड़े तथा उनका मूल्य मेरी/हमारी सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी के अनुसार और प्राक्कलन एवं अनुमानों के अनुसार निम्न प्रकार से है:

वर्ष	उत्पादन	विक्री	उपकरण का अधिकतम खुदरा मूल्य (रु.)
पिछले वर्ष..... से.....तक चालू वर्ष से.....तक (प्राक्कलन)			

4. एक लाख रुपए या पच्चीस हजार रुपए का लेबल प्रतिभूति शुल्क, जैसा भी मामला हो, इलेक्ट्रॉनिक मोड चालान संख्यातारीख द्वारा संदत्त किया गया है।
(केवल लेबल प्रतिभूति शुल्क जमा करने के समय ही भरा जाना है)।
5. मैं/हम ब्यूरो द्वारा विविनिर्दिष्ट लेबलिंग संदाय करने के लिए सहमत हूँ/हैं।
6. मैं/हम ब्यूरो द्वारा विविनिर्दिष्ट सभी निबधनों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं और ब्यूरो द्वारा की जाने वाली किसी भी जाँच के मामले में आवश्यक सहायता/सहयोग प्रदान करने के लिए सहमत हूँ/हैं।
7. मैं/हम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को सत्यापन और चुनौती परीक्षण हेतु नमूने के चयन के लिए प्राधिकृत करता हूँ/हैं और इस संबंध में ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।
8. मैं/हम वचन देता हूँ/देते हैं कि इस आवेदन में दी गई जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार सही है, और अगर दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है; आवेदन को तत्काल खारिज किया जा सकता है।
तारीख (वर्ष).....

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पदनाम.....

..... के लिए और उनकी ओर से

(फर्म का नाम)

फर्म की मुहर

अनुबंध I

[प्रपत्र I - (क) का पैरा 2 देखें]

1. कंपनी का विवरण

कंपनी का नाम	
पता	
पिन कोड	
राज्य	
फोन नं.	
फैक्स नं.	
ई-मेल	
वेबसाइट	
पंजीकरण का समर्थन करने के लिए संलग्नक: (क) विनिर्माण या व्यावसायिक परिसर के नाम और पते को प्रमाणित करने वाला दस्तावेज़ (ख) व्यापार चिह्न प्रमाण पत्र (ग) लघु उद्योग प्रमाण पत्र, यदि लागू हो (घ) गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाण पत्र	हाँ/नहीं
(ड.) प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता पत्र (च) भारतीय मानक ब्यूरो का लाइसेंस यदि लागू हो तो (छ) भुगतान ऑनलाइन किए जाने की स्थिति में भुगतान रसीद	

2. विनिर्माण परिसर का विवरण (एक से अधिक विनिर्माण सुविधाओं के मामले में एक अलग तालिका प्रदान की जा सकती है)

विनिर्माण सुविधा का नाम	
पता	
पिन कोड	
राज्य / देश	
फोन नं.	
फैक्स नं.	
ई-मेल	
वेबसाइट	
कोई अन्य विवरण (यदि कोई हो)	

हस्ताक्षर

नाम.....

पदनाम.....

..... के लिए और उनकी ओर से

(फर्म का नाम)

फर्म की मुहर

प्रपत्र I - (ख)

[विनियम 6 का उपनियम (3) देखें]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (चिल्लर के लेबल पर विवरण और उनके प्रदर्शन का तरीका) विनियम, 2022 के तहत चिल्लर पर लेबल लगाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन

सेवा में,

महानिदेशक

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो,

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)

चौथा तल, सेवा भवन, सेक्टर-1, आर.के.पुरम,

नई दिल्ली – 110066 भारत

1. मैं/हम ब्रांड नाम के तहत चिल्लर के पंजीकृत विनिर्माणकर्ता हूँ/हैं(ब्रांड का नाम) और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा जारी किया गया विशिष्ट लेबल श्रृंखला कोड है
2. उपरोक्त उपकरण (कंपनी का नाम) द्वाराके ब्रांड नाम में विनिर्मित या आयात किया जाता है और (कारखाने का नाम और पता) में विनिर्मित होता है।
3. उपकरण, उत्पाद परीक्षण प्रमाण पत्र, लेबल और भुगतान के संबंध में जानकारी का विवरण अनुबंध में दिया गया है और संबंधित फोटोकॉपी इसके साथ संलग्न हैं।
4. मानकों के अनुरूप: मैं/हम पुष्टि करते हैं कि हमारे द्वारा विनिर्मित या आयात किए गए चिल्लर के पास गुणवत्ता प्रणाली प्रमाणपत्र है जो प्रासंगिक भारतीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों (मानक का नाम और संख्या) के अनुरूप है जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया गया है (अधिसूचना का शीर्षक) के लिए। (उपकरण का नाम)।

मैंने/हमने अपनी आंतरिक प्रयोगशाला या स्वतंत्र प्रयोगशाला (प्रयोगशाला का नाम और पता) में परीक्षण की व्यवस्था की है, जो परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय संप्रत्यायन बोर्ड या अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला संप्रत्यायन सहयोग या एशिया प्रशांत प्रयोगशाला संप्रत्यायन सहयोग द्वारा प्रत्यायन प्राप्त है। या समकक्ष निकाय उपकरण की गुणवत्ता के साथ-साथ प्रासंगिक भारतीय मानकों/मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन/सांविधिक आदेश में विनिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन मानकों के दायरे में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए

प्रयोगशाला विवरण:

(क) संप्रत्यायन निकाय:

(ख) संप्रत्यायन स्थिति:

(i) प्रयोगशाला के लिए:

(ii) परीक्षण मानकों के लिए: (प्रासंगिक उत्पाद मानक नाम/संख्या विनिर्दिष्ट करें)

(ग) ब्रांड के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की मंजूरी (हां/नहीं):

5. (क) दो हजार रुपए का आवेदन शुल्क इलेक्ट्रिक मोड द्वारा भुगतान किया गया है दिनांक
6. ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट चिल्लर पर चिपकाए गए प्रत्येक लेबल के लिए 3 रुपए प्रति किलोवाट (शीतलन के लिए 3 रुपए प्रति किलोवाट) लेबलिंग शुल्क का भुगतान करने के लिए सहमत है।
7. मैं/हम ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट सभी नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं और ब्यूरो द्वारा की जाने वाली किसी भी जाँच-परीक्षण के मामले में आवश्यक सहायता/सहयोग प्रदान करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

8. मैं/हम ब्यूरो को सत्यापन और चुनौती परीक्षण के लिए नमूने के चयन के लिए अधिकृत करता हूँ/हैं और इस संबंध में ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।
9. मैं/हम वचन देता हूँ/देते हैं कि इस आवेदन में दी गई जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार सही है, और अगर दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है; आवेदन को तत्काल खारिज किया जा सकता है।
तारीख (वर्ष).....

हस्ताक्षर

नाम.....

पदनाम.....

..... के लिए और उनकी ओर से

(फर्म का नाम)

फर्म की मुहर

अनुबंध I**[प्ररूप I का पैरा 3 देखें - (ख)]**

जानकारी का विवरण

1. उत्पाद / उपकरण विवरण**1.1 सामान्य (जैसा लागू हो विवरण भरें)**

उपकरण और प्रकार
ब्रांड का नाम
मॉडल का नाम और संख्या
क्रमांक
उत्पादन का वर्ष
रेटेड वोल्टेज
रेटेड फ्रिक्वेंसी
कंडेनसर का प्रकार (वाटर कूल्ड/एयर कूल्ड)
रेटेड शीतलन क्षमता
रेटेड सीओपी
रेटेड आईएसईईआर
स्टार रेटिंग

1.2 तकनीकी विवरण (जैसा लागू हो विवरण पूरा करें)**क) परीक्षण मान:**

क्रमांक	माप मूल्यों	रेटेड मान
1.	ठंडा करने की क्षमता - 25% लोड पर - 50% लोड पर - 75% लोड पर - 100% लोड पर	ठंडा करने की क्षमता - 25% लोड पर - 50% लोड पर - 75% लोड पर - 100% लोड पर
2.	बिजली की खपत - 25% लोड पर - 50% लोड पर - 75% लोड पर - 100% लोड पर	बिजली की खपत - 25% लोड पर - 50% लोड पर - 75% लोड पर - 100% लोड पर
3 .	प्रदर्शन का गुणांक (सीओपी) - 25% लोड पर - 50% लोड पर - 75% लोड पर - 100% लोड पर	प्रदर्शन का गुणांक (सीओपी) - 25% लोड पर - 50% लोड पर - 75% लोड पर - 100% लोड पर
4.	भारतीय मौसमी ऊर्जा दक्षता अनुपात (आईएसईईआर)	भारतीय मौसमी ऊर्जा दक्षता अनुपात (आईएसईईआर)

2. परीक्षण प्रयोगशाला का विवरण

परीक्षण प्रयोगशाला का नाम	
प्रत्यायन स्थिति (i) प्रयोगशाला के लिए (ii) प्रासंगिक मानकों के लिए (प्रत्यायन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)	हां / नहीं
प्रत्यायन की वैधता (समर्थन में दस्तावेज संलग्न करें)	
पता	
पिन कोड	
राज्य	
फोन नंबर	
फैक्स नं.	
ईमेल	
वेबसाइट	


3. लेबलिंग जानकारी

प्रारंभ होने की तारीख	
बीईई के लिए आवेदन किए गए लेबलों की संख्या - प्रथम वर्ष के लिए दूसरे वर्ष के लिए - तीसरे वर्ष के लिए -	
उत्पाद क्रमांकसे तक

4. मॉडल विवरण:

नमूना	मॉडल का नाम/मॉडल संख्या

4. चिल्लर्स पर चिपकाए जाने वाले लेबल का नमूना नीचे दिखाया गया है:



तारीख

हस्ताक्षर

नाम.....

पदनाम.....

.....के लिए और उनकी ओर से

(फर्म का नाम)

फर्म की मुहर

प्ररूप II - (क)

[विनियम 7 के उप-विनियम (1) का खंड (क) देखें]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (चिल्लर्स के लेबल पर विवरण और उसके प्रदर्शन का तरीका) विनियम, 2022 के तहत चिल्लर्स के ब्रांड के पंजीकरण की अनुज्ञा

नई दिल्ली, तारीख.....

सेवा में,

.....

- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो इस पत्र के अनुबंध-1 में दिए गए अनुमोदनों के अनुसार आपको ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (चिल्लर्स के लेबल पर विवरण और उसके प्रदर्शन का तरीका) विनियम, 2022 के विनियम 7 के प्रावधानों के तहत अपने ब्रांड को पंजीकृत करने की अनुज्ञा देता है।
- यह अनुज्ञा निम्नलिखित के अधीन है—
 - चिल्लर्स के लेबल पर प्रदर्शित स्टार लेवल अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के तहत अधिसूचित चिल्लर्स के लिए ऊर्जा खपत मानकों और पूर्वोक्त विनियमों में प्रदान किए गए नियमों और शर्तों के अनुरूप होगा;
 - लेबल पर केवल चिल्लर के ऐसे मॉडल पर मुहर लगाई जाएगी जिसके लिए अनुज्ञा दी गई है;
 - अनुज्ञाधारक के खर्च पर लेबल मुद्रित या चिल्लर्स पर चिपकाया जाएगा ;
 - अनुज्ञाधारक यह सुनिश्चित करेगा कि चिल्लर्स पर प्रदर्शित स्टार लेवल हर समय बनाए रखा जाएगा;
 - अनुज्ञाधारक ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट लेबल शुल्क का भुगतान करेगा ;
 - अनुज्ञाधारक वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के अगले माह के भीतर ब्यूरो को एक विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें लेबलीकृत उपकरणों के उत्पादन और प्रत्येक तिमाही के लिए अर्जित लेबलिंग शुल्क का विवरण होगा। वही व्यौरे स्वचालित प्रणाली के माध्यम से ब्यूरो को भी प्रस्तुत किए जाएंगे;
 - ब्यूरो द्वारा मांगे जाने पर अनुज्ञाधारक चिल्लर्स से संबंधित अन्य विवरण प्रस्तुत करेगा जिनकी अनुज्ञा प्रदान की गई है।
- ब्यूरो के पूर्वानुमोदन के बिना अनुज्ञाधारक वैधता अवधि के दौरान बाजार से पंजीकृत ब्रांड और चिल्लर्स को वापस नहीं लेगा।
- ब्रांड के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट विशिष्ट लेबल श्रृंखला कोड है और यह अनुमोदित डिजाइन के अनुसार लेबल पर दिखाई देना चाहिए।
- दिनांक माह वर्ष को यह हस्ताक्षरित और मुहरबंद किया गया।

भवदीय,

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

अनुबंध I

[प्रपत्र III का पैरा 1 देखें]

स्वीकृतियों का विवरण

1. कंपनी का विवरण

कंपनी का नाम	
पता	
पिन कोड	
राज्य	
फोन नंबर	

फ़ैक्स नहीं	
ईमेल	
वेबसाइट	

2. पंजीकृत ब्रांड का नाम:
3. विशिष्ट श्रृंखला कोड:
4. अन्य विवरण (यदि लागू हो):

तारीख.....

भवदीय,

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

प्ररूप II-(ख)

[विनियम 7 का उप-विनियम (1) और उप-विनियम (6) का खंड (ख) देखें]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (चिल्लर्स के लेबल पर विवरण और उनके प्रदर्शन का तरीका) विनियम, 2022 के तहत चिल्लर्स पर लेबल लगाने की अनुज्ञा/नवीनीकरण

नई दिल्ली, तारीख.....

सेवा में,

.....

1. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (चिल्लर्स के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण और तरीका) विनियम, 2022 के विनियम 7 के प्रावधानों के अनुसार, ब्यूरो आपको एतद्वारा निर्धारित अनुमोदन के विवरण के अनुसार लेबल पर मुहर लगाने और प्रिंट करने या चिपकाने की अनुज्ञा प्रदान करता है। इस पत्र का अनुबंध II।

2. यह अनुज्ञा निम्नलिखित के अध्यक्षीन है—

- (क) चिल्लर्स के लेबल पर प्रदर्शित स्टार लेबल अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के तहत अधिसूचित चिल्लर्स के लिए ऊर्जा खपत मानकों और पूर्वोक्त विनियमों में प्रदान किए गए नियमों और शर्तों के अनुरूप होगा;
- (ख) लेबल पर केवल चिल्लर के ऐसे मॉडल पर मुहर लगाई जाएगी जिसके लिए अनुज्ञा दी गई है;
- (ग) अनुज्ञाधारक की कीमत पर लेबल मुद्रित या चिल्लर्स पर चिपकाया जाएगा ;
- (घ) अनुज्ञाधारक यह सुनिश्चित करेगा कि चिल्लर्स पर प्रदर्शित स्टार लेबल हर समय बनाए रखा जाएगा;
- (ङ.) अनुज्ञाधारक केवल 3 रुपए/किलोवाट के लेबल शुल्क का भुगतान चिल्लर पर लगाए जाने वाले प्रत्येक लेबल के लिए करेगा ;
- (च) अनुज्ञाधारक वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के अगले माह के भीतर ब्यूरो को एक विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें लेबल किए गए उपकरणों के उत्पादन और प्रत्येक तिमाही के लिए अर्जित लेबलिंग शुल्क का विवरण होगा। वही ब्यौरे स्वचालित प्रणाली के माध्यम से ब्यूरो को भी प्रस्तुत किए जाएंगे;

(छ) अनुज्ञा प्राप्त करने वाला ब्यूरो, जिसकी अनुज्ञा प्रदान की गई है, द्वारा मांगे जाने पर चिल्लर्स के ऐसे अन्य विवरण उपलब्ध कराएगा।

3. यह अनुज्ञा से तक प्रभावी होगी। और इसे यथानिर्धारित रूप में नवीनीकृत किया जा सकेगा। ब्यूरो के पूर्वानुमोदन के बिना अनुज्ञाधारक वैधता अवधि के दौरान बाजार से चिल्लर को वापस नहीं लेगा।

4. दिनांक माह वर्ष को यह हस्ताक्षरित और मुहरबंद किया गया।

भवदीय,

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

अनुबंध I

[प्ररूप IV का पैरा 1 देखें]

स्वीकृतियों का विवरण

1. उपकरण का विवरण

(क) ब्रांड:

(ख) बीएमजी

(ग) मॉडल विवरण:

क्रमांक _	मॉडल प्रकार (पेरेंट / चाइल्ड मॉडल)	मॉडल का नाम / संख्या

(टिप्पणी: तालिका में उपरोक्त बीएमजी के तहत सभी मॉडलों (माता-पिता और बच्चे के मॉडल) का विवरण शामिल होगा)

(घ) तकनीकी विनिर्देशन:

क्रमांक	रेटेड मान	मापा गया मान
1.	ठंडा करने की क्षमता - 25% लोड पर - 50% लोड पर - 75% लोड पर - 100% लोड पर	ठंडा करने की क्षमता - 25% लोड पर - 50% लोड पर - 75% लोड पर - 100% लोड पर
2.	बिजली की खपत - 25% लोड पर - 50% लोड पर - 75% लोड पर - 100% लोड पर	बिजली की खपत - 25% लोड पर - 50% लोड पर - 75% लोड पर - 100% लोड पर
3.	प्रदर्शन का गुणांक (सीओपी) - 25% लोड पर - 50% लोड पर	प्रदर्शन का गुणांक (सीओपी) - 25% लोड पर - 50% लोड पर


	- 75% लोड पर - 100% लोड पर		- 75% लोड पर - 100% लोड पर	
4.	भारतीय मौसमी ऊर्जा दक्षता अनुपात (आईएसईईआर)		भारतीय मौसमी ऊर्जा दक्षता अनुपात (आईएसईईआर)	

(टिप्पणी: तालिका में उपरोक्त बीएमजी के तहत सभी मॉडलों (पेरेंट और चाइल्ड मॉडल) का विवरण शामिल होगा)

2. लेबल विवरण

उपकरण और प्रकार	
विनिर्माता या आयातक और ब्रांड का नाम	
बीएमजी/मॉडल/निर्माण या आयात का वर्ष	
विशिष्ट श्रृंखला कोड	
शीतलन तकनीक	
कंप्रेसर प्रकार	
शीतलन क्षमता	
कुल ऊर्जा इनपुट	
लेबल वैधता अवधि	
उद्गम देश	
रेटेड आईएसईईआर	
स्टार रेटिंग	

- लेबल डिजाइन, आकार, रंग योजना, लेबल के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री और ब्यूरो के प्रतीक चिह्न के लेबल और रंग योजना की सामग्री इस विनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट के अनुसार होगी।
- चिल्लर्स पर चिपकाए जाने वाले ब्यूरो द्वारा विधिवत अनुमोदित लेबल के नमूने को नीचे दिखाया गया है (बेसिक मॉडल ग्रुप (बीएमजी) के तहत मॉडल के परिवार के लिए अलग नमूने संलग्न हैं)।



पत्र में दिए गए विशिष्ट लेबल श्रृंखला कोड का उल्लेख चिल्लर्स पर लगे लेबल में किया जाना चाहिए।
तारीख

भवदीय,

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

प्ररूप III

[विनियम 7 के उप-विनियम (2) देखें]

परमिट का रजिस्टर

क्रमांक	आवेदन संख्या और अनुज्ञा की तारीख	अनुज्ञाधारक का नाम और विवरण (संपर्क व्यक्ति, पता, पिन कोड, राज्य, फोन नंबर, फैक्स नंबर, ई-मेल, वेबसाइट)	उन उपकरणों का विवरण जिनके लिए अनुज्ञा दी गई है	घोषित स्टार लेवल या दक्षता स्तर	बीईई अनुज्ञा संख्या और विशिष्ट लेबल श्रृंखला	वैधता अवधि जिसके लिए अनुज्ञा दी गई है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

लेबल सुरक्षा जमा की राशि	द्वारा प्राप्त लेबल सुरक्षा जमा (इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन (विवरण): तारीख :)	आवेदन शुल्क प्राप्त राशि का विवरण (इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन (विवरण): तारीख :)
(8)	(9)	(10)

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में चिपकाए गए लेबलों की संख्या	देय लेबलिंग शुल्क की राशि	प्राप्त राशि का लेबलिंग शुल्क विवरण (इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन (विवरण): तारीख :)	टिप्पणियां
(11)	(12)	(13)	(14)

प्ररूप IV

[विनियम 7 का उप-विनियम (7) देखें]

चिल्लर के मौजूदा / पूर्व अनुमोदित मॉडल पर लेबल लगाने की अनुज्ञा जारी रखने की मांग करने वाले अनुज्ञाधारक द्वारा घोषणा

(प्रत्येक अलग-अलग मॉडल के लिए, संबंधित अनुबंध के साथ एक अलग पत्र प्रस्तुत किया जाएगा) (कॉर्पोरेट निकाय/ अनुज्ञाधारक के लेटर हेड पर)

तारीख:

सेवा में,

महानिदेशक
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)
चौथा तल, सेवा भवन,
सेक्टर 1, आर के पुरम,
नई दिल्ली-110 066
भारत

विषय: से प्रभावी स्टार लेवल के संशोधन पर ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (चिल्लर्स के लेबल पर विवरण और उसके प्रदर्शन का तरीका) विनियम, 2022 के तहत लेबल लगाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन।

1. मैं/हम चिल्लर्स के विनिर्माता/आयातक हूँ/हैं जो [कंपनी का पूरा पता के साथ कंपनी का नाम] में [व्यक्तिगत या फर्म का पूरा नाम] के रूप में कारोबार कर रहा हूँ/रहे हैं, ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट चिल्लर्स पर लेबल लगाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन करता हूँ / करते हैं। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (चिल्लर्स के लेबल पर विवरण और उसके प्रदर्शन का तरीका) विनियम, 2022 जो से स्टार लेवल के संशोधन के लिए जाएगा।
2. उपरोक्त उपकरण [व्यक्तिगत या फर्म का पूरा नाम] द्वारा निर्मित या आयातित है और इसे (कारखाने का नाम और पता) में विनिर्मित किया गया है या (आयातकर्ता का नाम और पता) से आयात किया गया है;
3. नए स्टार लेवल के अनुरूप: मैं/हम तालिका के अनुसार तालिका परिवर्तन की पुष्टि करता हूँ / करते हैं। जैसा कि चिल्लर्स के लिए का.आ. संख्या तारीख में विनिर्दिष्ट है। उपरोक्त उपकरण के संबंध में ब्यूरो के अनुमोदन की एक प्रति (जिसे पूर्व अनुमोदित किया गया था) संलग्न है।
4. चिल्लर्स के संबंध में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो लेबल (स्टार लेवल परिवर्तन के संशोधन के अनुसार) की एक प्रति संलग्न है।
5. स्टार लेवल के संशोधन के अनुसार उपकरण/मॉडल का विवरण

मॉडल नाम - _____

विवरण	घोषित मान	
ठंडा करने की क्षमता	--	
कुल ऊर्जा खपत	--	
सीओपी	--	
आईएसईईआर		
स्टार रेटिंग	(मौजूदा स्टार लेवल के अनुसार)	(संशोधित स्टार लेवल के अनुसार)

6. मैं/हम मैन्युअल आवेदन के साथ-साथ ऑनलाइन वेब पोर्टल में स्टार लेवल को [मौजूदा स्टार लेवल स्तर] से [संशोधित स्टार लेवल स्तर] में बदलने के लिए सहमत हूँ/हैं।

7. मैंने उक्त चिल्लर मॉडल के लिए अब तक का अपना तिमाही उत्पादन डेटा और लेबलिंग शुल्क जमा कर दिया है।
8. मैं/हम ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट सभी नियमों और शर्तों का पालन करने और ब्यूरो द्वारा की जाने वाली किसी भी जांच के मामले में आवश्यक सहायता/सहयोग करने के लिए सहमत हूँ / हैं।
9. मैं/हम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को सत्यापन और चुनौती परीक्षण के लिए नमूने के चयन हेतु प्राधिकृत करता हूँ / करते हैं और इस संबंध में ब्यूरो के विनिर्देशों का पालन करने के लिए सहमत हूँ / हैं।
10. मैं/हम वचन देता हूँ/ देते हैं कि इस आवेदन में दी गई जानकारी मेरी/हमारी अधिकतम जानकारी के अनुसार सही है, और यदि दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है, तो आवेदन को तुरंत खारिज किया जा सकता है।

तारीख (वर्ष).....

हस्ताक्षर

नाम.....

पदनाम.....

..... के लिए और उनकी ओर से

(फर्म का नाम)

फर्म की मुहर

प्ररूप V

[विनियम II का उप-विनियम (5) देखें]

जांच परीक्षण में विफल रहने पर अनुज्ञाधारी को निदेश

तारीख.....

सेवा में,

.....
.....
.....

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (चिल्लर्स के लेबल पर विवरण और उसके प्रदर्शन का तरीका) विनियम, 2022 के विनियम 7 के प्रावधानों के अनुसार, आपको ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के पत्र संख्या तारीख में विनिर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुपालन में चिल्लर्स पर लेबल लगाने की अनुज्ञा दी गई थी।

1. विशिष्ट पहचान क्रमांक वाले नमूने पर परीक्षण रिपोर्ट के परिणाम संलग्न हैं। चिल्लर मॉडल के सत्यापन परीक्षण ने इंगित किया है कि नमूना चिल्लर ऊर्जा प्रदर्शन मानदंडों (शीतलन क्षमता, ऊर्जा की खपत, आईएसईईआर) को पूरा करने में विफल रहा है और आपके द्वारा विनिर्मित / आयातित चिल्लर पर लेबल चिपकाने की अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु आवेदन के साथ अनुबंध-1 में संलग्न विवरण के अनुरूप नहीं था। सत्यापन परिणाम आपको आपके अधिकृत संपर्क व्यक्ति के नाम से ब्यूरो के पत्र संख्या तारीख के माध्यम से भेजे गए थे।

3. जांच परीक्षण के परीक्षण परिणाम संलग्न हैं जो राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए प्रत्यायन प्राप्त प्रयोगशाला के राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के सक्षम अधिकृत कर्मियों द्वारा पूरी तरह से जांचे गए और प्रतिहस्ताक्षरित हैं। जांच परीक्षण गतिविधि के गवाह के रूप में आपके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा जांच परीक्षण रिपोर्ट पर विधिवत हस्ताक्षर किए गए हैं। परीक्षण के परिणाम इस बात की पुष्टि करते हैं कि वे का.आ. संख्या तारीख में दिए गए अपेक्षित मापदंडों और मानकों को पूरा करने में विफल रहे हैं तथा आपके द्वारा विनिर्मित / आयातित और बाजार में बेचे जाने वाले चिल्लर्स पर चिपकाए गए लेबल पर विवरण प्रदर्शित करने के लिए आपको दी गई अनुज्ञा के नियम और शर्तों को पूरा नहीं करते।

4. ब्यूरो आपको चिल्लर के लेबल पर प्रदर्शित स्टार लेवल को ठीक करने या परीक्षण के दौरान पाए गए दोषों और कमियों को दूर करने का निदेश देता है; ब्यूरो के निदेशों का पालन करने के लिए बाजार से सभी स्टॉक वापस लें; और विज्ञापन सामग्री पर प्रदर्शित विवरणों को बदलें।

5. आपको इस पत्र के जारी होने की तारीख से दो माह के भीतर उपरोक्त सुधारात्मक कार्रवाई को पूरा करने और दो माह की समाप्ति के बाद दस दिनों के भीतर प्ररूप VI में अनुपालन रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया जाता है, अर्थात्

..... यदि उक्त तारीख तक कोई अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है, तो ब्यूरो इन विनियमों के तहत आगे की कार्रवाई करेगा।

6. ब्यूरो इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार आगे और अनुवर्ती कार्रवाई करेगा।

सचिव, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

संलग्नक:

1. विफल मॉडल की परीक्षण रिपोर्ट
2. विनिर्माता के साथ पत्राचार

प्ररूप VI

कृत कार्रवाई की रिपोर्ट

[विनियम 11 का उप-विनियम (6) देखें]

(संगठन के लेटर हेड पर प्रस्तुत किया जाए)

तारीख :

सेवा में,

सचिव,
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
(ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार)
चौथा तल, सेवा भवन ,
सेक्टर 1, आरकेपुरम ,
नई दिल्ली-110 066 भारत।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (चिल्लर्स के लेबल पर विवरण और उसके प्रदर्शन का तरीका) विनियम, 2022 के विनियम 7 के प्रावधानों के अनुसार, हम मेसर्स को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के पत्र सं. दिनांक के द्वारा मॉडल के लिए ऊर्जा खपत मानक के अनुरूप चिल्लर के विनिर्माता को चिल्लर पर लेबल लगाने की अनुज्ञा प्रदान की गई थी।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (चिल्लर्स के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण और तरीका) विनियम, 2022 के विनियम 11 के उप-विनियम (5) के प्रावधानों के अनुसार, हमें ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के पत्र संख्या दिनांक..... के माध्यम से आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए निदेश दिए गए थे। ब्यूरो द्वारा जारी निदेशों के आलोक में, हम घोषणा करते हैं कि हमारी ओर से निम्नलिखित कार्रवाई की गई है।

	कार्रवाई निर्देशित	स्थिति	कृत कार्रवाई
(i)	ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के लिए चिल्लर्स के लेबल पर प्रदर्शित स्टार लेवल को ठीक करें	हां/नहीं/लागू नहीं	दिनांक से स्टार लेवल को स्टार से स्टार करके ठीक कर दिया गया है।
(ii)	ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के लिए बाजार से सभी स्टॉक वापस ले लें। तथा	हां/नहीं/लागू नहीं	ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के लिए बाजार से सभी स्टॉक वापस ले लिए गए हैं।
(iii)	विनिर्माणाधीन चिल्लर इकाई पर प्रदर्शित होने वाले विवरणों को बदलें	हां/नहीं/लागू नहीं	हां/नहीं/लागू नहीं

उपरोक्त घोषणा हमारे अधिकतम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

..... के लिए और उनकी ओर से

कंपनी/फर्म आदि का नाम

फर्म/कंपनी की मुहर

THE BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2022

F. No. BEE/S&L/Chillers/40/2022-23.—In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (2) of section 58 read with clause (n) of sub-section (2) of section 13 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Bureau of Energy Efficiency (the Bureau) with the previous approval of the Central Government, proposes to notify the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Chillers) Regulations, 2022, the proposed draft regulations are hereby published in the Gazette of India, Extraordinary, as required by sub-section (1) of section 58 of the said Act, for the information of all the persons likely to be affected thereby and inviting their suggestions and objections (if any); and the notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration on or after the expiry of the period of thirty days from the date of their publication in the Gazette of India, Extraordinary;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Director-General, Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power, 4th Floor, Sewa Bhawan, North Wing, Sector-1, R.K.Puram, New Delhi-110066;

Objections or suggestions which may be received from the persons with respect to the said draft regulations before the expiry of the period of thirty days specified in para 1 above, shall be taken into consideration by the Bureau of Energy Efficiency.

Draft Regulations

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Chillers) Regulations, 2022.

2. Definitions.—(1) In these regulations, unless the context otherwise requires,—

- (a) “Act” means the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001);
- (b) “Basic Model Group (BMG)” means group of models that share characteristics which allow the performance of one model to be representative of the performance of other models within the group. Within a given range of cooling capacity, a BMG shall comprise of chiller models, lying in the same star level band with similar energy performance in terms of ISEER.
- (c) “Parent Model” shall be a chiller model with highest cooling capacity in kW, within the cooling capacity range of respective BMG.
- (d) “Child model” shall have cooling capacity in KW, less than that of the cooling capacity of the parent model in the same BMG.
- (e) “Form” means a form appended to these regulations;
- (f) “label” means any written, printed, marked, stamped or graphic matter affixed to, or appearing upon the Chiller;
- (g) “label period” means the validity period of the energy consumption standards notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act;

Provided that if, by the ending timeline of the label validity period, the new energy consumption standards under section 14 (a) of the Act is not notified, the existing standards shall deemed to be valid until new values for the same are notified by the Central Government;

- (h) “permittee” means a person or agency to whom permission has been granted to affix label under regulation 7;
- (i) “Schedule” means the schedule annexed to these regulations;
- (j) “Chillers” means an appliance as specified in the notification under clause (b) of section 14 of the Act;
- (k) “star rating or star level” means the grade of energy efficiency displayed on the label of the chillers based on ISEER notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act;
- (l) “trader or seller” in relation to any chiller means a person who sells or distributes such chiller and includes shopkeeper, trader, manufacturer and permittee who has been given permission to affix label on such chiller.

(2) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act, shall have meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Particulars to be displayed on label.—(1) On every chiller, the following particulars shall be displayed on its label, namely:—

- (a) the logo of the Bureau of Energy Efficiency;
- (b) appliance/type;
- (c) name of manufacturer or importer and brand;
- (d) BMG/Model/year of manufacturing or import;
- (e) unique series code;
- (f) cooling technology;
- (g) compressor type;
- (h) cooling capacity;
- (i) ISEER;
- (j) total power input;
- (k) label period;
- (l) country of origin

(2) The design, colour, size and content of label shall be as specified in the Schedule annexed to these regulations.

4. Time limit for display of labels.—(1) A label containing all the particulars specified in regulation 3 shall be displayed on every chiller within a period of six months from the date of coming into force of these regulations.

(2) On and from commencement of revised energy consumption standards notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act, every permittee or trader or seller shall ensure that—

- (a) the chiller being designed for sale shall display revised star level and revised label period synchronizing with the revised energy consumption standards and the manufacturing year of the chiller shall also be in synchronization with such revised energy consumption standards, and shall not manufacture chiller with the previous energy consumption standards;

Provided that for smooth transition, manufacturer may produce or import the product two month in advance from the date of such commencement, with the revised energy performance standards;

- (b) all preparatory steps including awareness of the dealers, retailers and consumers, requisite publicity for their education shall be well planned and taken three months in advance of the date of such commencement, under these regulations.

5. Manner of display of label.—(1) There shall be a label on chiller which shall be displayed at the point of sale and such label shall be affixed on chiller in the following manner, namely:—

- (i) The label shall be firmly fixed on chiller and near the nameplate of the chiller.
- (ii) The label shall be of durable material (aluminium anodized) and be printed as per the size. The name plate of corrosion resistant material shall be affixed on the chiller. The markings required by the schedule shall be legible, indelible and durable.

6. Permission for display of label.—(1) No star label shall be affixed on a chiller without obtaining the prior permission of the Bureau.

(2) Company Registration.- For the purposes of obtaining permission of the Bureau, every brand shall be registered separately as specified in Form I – (A), accompanied by a label security fee of one lakh rupees, payable by any acceptable electronic mode of payment:

Provided that in case of small scale industry, the label security fee shall be twenty five thousand rupees only;

(3) Model Registration.- Every application of the permittee under sub-regulation (2) shall be accompanied by—

- (a) an application fee of two thousand rupees per model, payable by any other acceptable electronic mode of payment; and
- (b) documents specified in Form I- (B).

7. Grant of permission.—(1) On receipt of an application under regulation 6 and after being satisfied that all requirements therein are complied with, the Bureau may, within a period as specified in DISHA (Bureau's Operation Manual on Standards and Labelling) from the date of such receipt, grant, subject to such terms and conditions as are specified in regulation 8,—

- (a) register the brand in Form II-(A) or in electronic form; or
- (b) grant permission for affixing label on chiller in Form II-(B) or in electronic form.

(2) The Bureau shall maintain a register in Form III and enter the name of the permittee therein.

(3) The permission so granted under sub-regulation (1) shall be valid for such period till which the star level specified by the energy consumption standard as notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act is in force.

(4) In case of revision of star rating plan, an application for renewal of permission shall be made by the permittee from six months but not later than three months before its expiry and shall be accompanied by a fee of rupees one thousand payable in electronic mode in favour of the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi.

Provided, in case of extension of star rating plan, the said renewal fee of rupees one thousand shall be exempted.

(5) On receipt of application for renewal under sub-regulation (4) and after being satisfied that all requirements are complied with, the Bureau may, within a period of one month from the date of such receipt, renew permission in Form II – (B).

(6) No application shall be renewed after expiry of validity period; in which case the permittee shall make a fresh application.

(7) The permittee who seeks permission for continuance to affix label on the existing model of the chiller from the date from which the revised star level comes into force shall submit a declaration according to Form IV.

(8) The permittee shall seek permission to affix label afresh, if new model of the chiller is planned to be launched synchronising with the revised star level, and application for such permission shall be made six months in advance of coming into force of the revised star level.

8. Terms and conditions for display of particulars on label.—Every permittee, trader and seller shall,—

- (a) comply with the energy consumption standards for chiller notified under clause (a) of section 14 of the Act;
- (b) affix label only on such model of chiller for which permission has been granted;
- (c) affix label on the chiller at the cost of the permittee;
- (d) ensure that the star level displayed on the label of chiller shall be maintained at all time;
- (e) pay the label fee as specified in regulation 9;
- (f) furnish to the Bureau a statement containing details of production of labelled equipment and the accrued labelling fee due for each quarter within the following month of closure of each quarter of the financial year;
- (g) furnish to the Bureau an updated list of authorised distributors, dealers, retailers, sellers appointed to sell their labelled products by 30th day of April of each year;
- (h) comply with such other terms and conditions which the Bureau may specify including those contained in DISHA (Bureau's Operation Manual on Standards and Labelling).

9. Label fee.—(1) Every permittee shall pay to the Bureau a label fee of INR 3/kW only for each label being affixed on chiller;

(2) The label fee specified under sub-regulation (1) shall be paid annually within one month from the date of closure of each financial year;

Provided that on failure to pay the label fee within the period so specified, the Bureau may recover the amount due with interest thereon at ten per cent. per annum from the label security deposit paid under clause (b) of sub-regulation (3) of regulation 6 and if complete labelling fees are not recovered within one year of the last date of submission, the Bureau may cancel the labels granted to the permittee and publish his name in the national or regional daily newspapers and in electronic means as a defaulter.

10. Refund of label security deposit.—Subject to the provisions of sub-regulation (2) of regulation 9, the permittee shall be entitled to a refund of the label security deposit, on ceasing to manufacture chiller.

11. Verification by Bureau.—The chiller manufacturer shall submit the chiller production schedule and delivery schedule about the chillers which are registered under star rating program, quarterly in online BEE portal.

(1) The check testing of chillers shall be conducted either in manufacturers test lab duly accredited by NABL or in a third party/ independent test laboratory duly accredited by NABL or any other accreditation bodies having MRA with APAC and/or ILAC.

(2) The check testing for chillers shall be conducted at independent test laboratory/in-house manufacturer's test laboratory duly accredited by NABL in presence of BEE's representative.

(3) The Bureau or its designated agency may, either *suo motu* or on a complaint received by it, carry out verification testing to ensure that the chiller conforms to the star level and other particulars displayed on its label and that it complies with the other terms and conditions of permission.

Provided the procedure for challenge testing shall be same as mentioned in sub-regulation (3) of regulation (11).

(4) Where, upon a complaint received for a chiller model, the Bureau/designated agency would verify the test records at manufacturer's premises to ensure the authenticity of the approval granted by BEE.

(5) During check testing, if the chiller fails:

(a) direct the permittee in Form V, under intimation to all the State designated agencies, that the permittee within a period of two months shall,-

(i) correct the star level displayed on the label of the room air conditioner or remove the defects and deficiencies found during testing;

(ii) withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau;

(iii) change the particulars displayed on advertising material.

(b) BEE will publish, for the benefit of the stakeholders, the name of the permittee, brand name, model name or model number, logo and other specific action in any national or regional daily newspaper and in any electronic or in other manner as it deems fit within two months;

(c) BEE will cancel the approval of chiller model and associated basic model group.

(d) BEE shall intimate to the concerned State Designated Agencies to initiate further adjudication proceedings against the permittee and the trader under section 27 of the EC Act.

(e) In case of non-compliance as per manufacturer's declaration, the manufacturer has to again submit a fresh application with de-rated COP/ISEER for the respective basic model group.

Note: The product being customised in nature, verification process shall be based on only single check testing. The decision of the Bureau in case of any failure shall be made in accordance with clause (a) to clause (e) of sub-regulation (5) of regulation (11).

(6) The permittee shall, within ten days of the conclusion of the period of two months referred to in sub-regulation (5) send the compliance report in Form VI to the Bureau with respect to action taken in compliance with the direction.

12. Cancellation of permission.—The Bureau may cancel the permission granted under regulation 7, if the permittee,

- fails to comply with any of the terms and conditions specified under regulation 8;
- fails to pay label fee within the period specified under regulation 9;
- fails to comply with the directions issued under regulation 11.

ABHAY BAKRE, Director General, Bureau of Energy Efficiency

[ADVT.-III/4/Exty./354/2022-23]

SCHEDULE

[See sub-regulation (2) of regulation 3]

Particulars to be displayed on label of chillers.

1. Label design

(i) Dimension:

- Dimension of the label to be affixed near the name plate of the chiller:




(ii) Colour scheme for the label :

NAVY BLUE – C: 97, M:95 , Y:6 , K:1

GREEN – C: 81 , M: 10 , Y:90 , K:1

Note: Bottom of Bureau's logo and star filler in **GREEN** colour only and all fonts and top of Bureau's logo in **NAVY BLUE**



(iii) Colour scheme of Bureau of Energy Efficiency logo:

BLUE –

Hue(H)-239° Saturation(S):64% Brightness(B):59%

Luminance or lightness(L) :28, chromatic components -a:24 b:54

Red(R):54 Green(G):55 Blue(B):151

Cyan(C):97% Magenta(M):95% Yellow(Y):6% Black(K):1%

Web colour code - #363797

GREEN –

Hue(H)-150° Saturation(S):10% Brightness(B):67%


Luminance or lightness(L) :61, chromatic components -a:-53 b:32

Red(R):0 Green(G):170 Blue(B):87

Cyan(C):81% Magenta(M):10% Yellow(Y):90% Black(K):1%

Web colour code - #00AA56;

(iv) The complete specimen of a printed label for Chiiler:



2. Label material

The label shall be of durable material (aluminium anodized) and be printed as per the outlines shown in dimension and design scheme for the label. The name plate of corrosion resistant material shall be permanently affixed on the chiller. The markings required by the schedule shall be legible, indelible and durable.

FORM I - (A)

[See sub-regulation (2) of regulation 6]

(To be printed in company letter head)

Application for registration of brand of Chillers under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Chillers) Regulations, 2022

The Director General

Bureau of Energy Efficiency,

(Ministry of Power, Government of India)

4th Floor, Sewa Bhawan,

Sector-I, R.K. Puram,

New Delhi – 110066 India.

1. I/We are the manufacturers of Chillers carrying out business at (full business address) under the style of (Full name of individual or firm) hereby apply for permission to affix label on Chillers as specified by the Bureau in the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display of the Label on Chillers) Regulations, 2022.
2. The details of the information in respect of the equipment, company, manufacturing facility and payment is given in Annexure I. A photocopy of the certificate of incorporation issued by the Registrar of Firms or Societies/Director of Industries (in case of Small-Scale Units) or similar other documents authenticating the name of the firm and its manufacturing premises is enclosed.

- (a) Applicant/Authorised person: (Name and designation) is authorised to make this application on behalf of the company/firm etc. and will be responsible for accuracy of the information supplied with this application.
- (b) Contact Person: (Name and designation) is authorised contact person for coordination with the Bureau in respect of this application and use of the label.
- (c) I/We undertake to intimate to the Bureau of any change in the authorised persons defined in (a) or (b) above.
3. Production and sales figures of the said equipment and the value there of to the best of my/our knowledge and estimates are as follows:

Year	Production	Sales	MRP of the equipment (Rs.)
Last Year from..... to.....			
Current Year from..... to..... (estimate)			

4. A label security deposit of one lakh rupees or twenty-five thousand rupees (in case of Small Scale Industries).....has been paid by electronic mode..... dated..... (To be filled only at the time of submission of label security deposit).
5. I/We agree to pay the labelling fee as specified by the Bureau.
6. I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/co-operation to the Bureau in case of any enquiry to be made by it.
7. I/We authorise the Bureau of Energy Efficiency for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.
8. I/We undertake that the information supplied in this application is accurate to the best of my knowledge, and if any of the information supplied is found to be incorrect; the application may be rejected forthwith.

Dated thisDay of..... (Year)

Signature

Name

Designation

For and on behalf of.....

(Name of the firm)

SEAL OF FIRM

Annexure I

[See para 2 of Form I-(A)]

1. Details of the Company

Name of the Company	
Address	
Pin Code	
State	

Phone No.	
Fax No.	
E-mail	
Website	
Enclosures to support registration:	Yes/No
(a) Document authenticating the name and address of the manufacturing or business premises	
(b) Trade Mark Certificate	
(c) SSI Certificate, if applicable	
(d) Quality Management System Certificate	
(e) Authorised Signatory Letter	
(f) BIS License, if applicable	
(g) Payment receipt in case payment is made online	

2. Details of the manufacturing premise (a separate table may be provided in case of more than one manufacturing facility)

Name of the manufacturing facility	
Address	
Pin Code	
State / Country	
Phone No.	
Fax No.	
E-mail	
Website	
Any other details (if any)	

Signature

Name

Designation

For and on behalf of.....

(Name of the firm)

SEAL OF FIRM

FORM I – (B)

[See sub-regulation (3) of regulation 6]

Application for permission to affix label on Chillers under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Chillers) Regulations, 2022

The Director General
Bureau of Energy Efficiency,
(Ministry of Power, Government of India)
4th Floor, Sewa Bhawan,
Sector-I, R.K. Puram,
New Delhi – 110066 India.

1. I/We are the registered manufacturers of Chillers under the brand name(Name of the brand) and the unique label series code issued by Bureau of Energy Efficiency is
2. The above equipment is manufactured or imported by(Name of the company) in the brand name and is manufactured at (Name and address of the factory).
3. The details of the information in respect of the equipment, certification of test products, labels and payment is given in Annexure I and relevant photocopies are enclosed.
4. Conformance to standards : I/We conform that the product and the model complies with the requirement of the Bureau of Indian Standard (IS)/other International Standards (ISO/IEC) in respect of Quality System/ Other Standards (name and number of the standard)as specified in the notification on(title of the notification) for the(name of the equipment).

I/We have made arrangement for testing at our in-house laboratory _____ or at independent laboratory _____ (Name and address of the laboratory) which is accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) or Air Conditioning, Heating and Refrigeration Institute (AHRI) or Eurovent Certita or equivalent accreditation bodies having MRA with International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) or Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) for ensuring consistency in quality of the equipment as well as the scope of the relevant Indian Standard/International Standard Organization/International Electrotechnical Commission standards as specified in S.O.....

Laboratory details:

(a) Accreditation Board:

(b) Accreditation status:

(i) For Laboratory: (Yes/No)

(ii) For Test Standards: (Specify relevant product standard name/number)

(c) Bureau of Energy Efficiency approval:

5. (a) An application fee of two thousand rupees has been paid by electronic mode.....dated.....
6. I/We agree to pay the labelling fee of INR 3/kW/- (Rupees three per kilowatt of refrigeration only) for each label affixed on chiller as specified by the Bureau.
7. I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/co-operation to the Bureau in case of any enquiry to be made by it.
8. I/We authorise the Bureau of Energy Efficiency for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.
9. I/We undertake that the information supplied in this application is accurate to the best of my knowledge, and if any of the information supplied is found to be incorrect; the application may be rejected forthwith.

Dated thisDay of..... (Year)

Signature

Name

Designation

For and on behalf of.....

(Name of the firm)

SEAL OF FIRM

Annexure I

[See para 3 of Form I – (B)]

Details of Information**1. Product/Equipment Detail****1.1 General** (Complete the details as applicable)

Appliance and Type
Brand Name
Model Name and Number
Serial number
Year of manufacture
Rated voltage
Rated Frequency
Type of condenser (water cooled/air cooled)
Rated cooling capacity
Rated COP
Rated ISEER
Star Rating

1.2 Technical details (Complete the details as applicable)**a) Tested Values:**

S.No.	Measured Values	Rated Values
1.	Cooling Capacity - At 25% load - At 50% load - At 75% load - At 100% load	Cooling Capacity - At 25% load - At 50% load - At 75% load - At 100% load
2.	Power Consumption - At 25% load - At 50% load - At 75% load - At 100% load	Power Consumption - At 25% load - At 50% load - At 75% load - At 100% load
3.	Coefficient of Performance (COP) - At 25% load - At 50% load - At 75% load - At 100% load	Coefficient of Performance (COP) - At 25% load - At 50% load - At 75% load - At 100% load
4.	Indian Seasonal Energy Efficiency Ratio (ISEER)	Indian Seasonal Energy Efficiency Ratio (ISEER)

2. Details of test laboratory

Name of the test laboratory	
Accreditation status (i) For Laboratory (ii) For Relevant standards	Yes/No

(Attach copy of the accreditation certificate)	
Validity of the accreditation (Attach supporting document)	
Address	
Pin Code	
State	
Phone No.	
Fax No.	
E-Mail	
Web site	


3. Labelling information

Date of commencement	
Number of labels applied for BEE for the first year - for the second year - for the third year -	
Product Serial No.	From _____ To _____

4. Model Details:

Model	Model Name/Model Number

Specimen of the label to be affixed on Chillers is shown below:



Date

Signature

Name

Designation

For and on behalf of.....

(Name of the firm)

SEAL OF FIRM

FORM II-(A)

[See clause (a) of sub-regulation (1) of regulation 7]

Permission for registration of brand of Chillers under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Chillers) Regulations, 2022

New Delhi, dated.....

To

.....

1. Pursuant to the provisions of Regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Chillers) Regulations, 2022, the Bureau hereby permits you to register your brand as per details of approvals set out in the Annexure I to this letter.
2. This permission is subject to—
 - (a) the star level displayed on the label of the Chillers shall conform to energy consumption standards for Chillers notified under clause (a) of section 14 of the Act and terms and conditions provided in the aforesaid regulations;
 - (b) the label shall be stamped only on such model of Chillers for which permission has been granted;
 - (c) the label shall be printed or affixed on the Chillers at the cost of the permittee;
 - (d) the permittee shall ensure that the star level displayed on the Chillers shall be maintained at all time;
 - (e) the permittee shall pay the label fee as specified by the Bureau;
 - (f) the permittee shall furnish to the Bureau a statement containing details of production of labelled equipment and the accrued labelling fee due for each quarter within the following month of the close of each quarter of the financial year. The same details shall be furnished to the Bureau also through automated system;
 - (g) the permittee shall make available such other details of Chillers as and when sought by the Bureau of which the permission has been granted.
3. The permittee shall not withdraw the registered brand and the Chillers from the market during the validity period except with the prior approval of the Bureau.
4. The unique label series code assigned by the Bureau of Energy Efficiency for the brand is..... and should appear on the label as per the approved design.
5. Signed, sealed and dated this..... day ofmonth..... year.

Yours faithfully

(Secretary)

BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY

Annexure I

[See para 1 of Form III]

Details of Approvals

1. Details of the Company

Name of the Company	
Address	

Pin Code	
State	
Phone No.	
Fax No.	
E-mail	
Website	

2. Name of the brand registered:

3. Unique Series Code:

4. Other details (if applicable):

Date.....

Yours faithfully

(Secretary)

BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY

FORM II-(B)

[See clause (b) of sub-regulation (1) and sub-regulation (6) of regulation 7]

Permission/renewal of permission to affix label on Chillers under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Chillers) Regulations, 2022

New Delhi, dated.....

To

.....

- Pursuant to the provisions of Regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Chillers) Regulations, 2022, the Bureau hereby permits you to stamp and print or affix label as per details of approvals set out in the Annexure I to this letter.
- This permission is subject to—
 - the star level displayed on the label of the Chillers shall conform to energy consumption standards for Chillers notified under clause (a) of section 14 of the Act and terms and conditions provided in the aforesaid regulations;
 - the label shall be stamped only on such model of Chillers for which permission has been granted;
 - the label shall be printed or affixed on the Chillers at the cost of the permittee;
 - the permittee shall ensure that the star level displayed on the Chillers shall be maintained at all time;
 - the permittee shall pay the label fee of INR 3/kW only for each label being affixed on chiller;
 - the permittee shall furnish to the Bureau a statement containing details of production of labelled equipment and the accrued labelling fee due for each quarter within the following month of the close of each quarter of the financial year. The same details shall be furnished to the Bureau also through automated system;

(g) the permittee shall make available such other details of Chillers as and when sought by the Bureau of which the permission has been granted.

3. This permission shall be valid with effect fromto..... and may be renewed as prescribed. The permittee shall not withdraw the Chiller from the market during the validity period except with the prior approval of the Bureau.

4. Signed, sealed and dated this..... day ofmonth..... year.

Yours faithfully

(Secretary)

BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY

Annexure I

[See para 1 of Form IV]

Details of Approvals

1. Details of the equipment

(a) Brand:

(b) BMG

(c) Model Details:

S.No.	Model Type (Parent/Child Model)	Model Name/ Number

(Note: Table shall include details of all models (Parent and child models) under the aforementioned BMG)

(d) Technical Specification:


Sl.No.	Rated Values	Measured Values
1.	Cooling Capacity - At 25% load - At 50% load - At 75% load - At 100% load	Cooling Capacity - At 25% load - At 50% load - At 75% load - At 100% load
2.	Power Consumption - At 25% load - At 50% load - At 75% load - At 100% load	Power Consumption - At 25% load - At 50% load - At 75% load - At 100% load
3.	Coefficient of Performance (COP) - At 25% load - At 50% load - At 75% load - At 100% load	Coefficient of Performance (COP) - At 25% load - At 50% load - At 75% load - At 100% load
4.	Indian Seasonal Energy Efficiency Ratio (ISEER)	Indian Seasonal Energy Efficiency Ratio (ISEER)

(Note: Table shall include details of all models (Parent and child models) under the aforementioned BMG)

2. Label Details

Appliance and Type	
name of manufacturer or importer and brand	
BMG/Model/year of manufacturing or import	
unique series code	
cooling technology	
compressor type	
cooling capacity	
total power input	
label validity period	
country of origin	
Rated ISEER	
Star Rating	

- The label design, size, colour scheme, material to be used for the label and the content of the label and colour scheme of the Bureau's logo shall be as specified in the Schedule of this regulation.
- Specimen of the label duly approved by the Bureau to be affixed on the Chillers is shown below (Separate specimens for family of models under a Basic Model Group (BMG) is annexed).



The unique label series code provided in the letter has to be mentioned in the label affixed on the Chillers.

Date

Yours faithfully

(Secretary)

BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY

FORM III

[See sub-regulation (2) of regulation 7]

Register of Permittee

S. No.	Application number and date of permission	Name and details of the permittee (Contact Person, Address, Pin Code, State, PhoneNo., Fax No., E-mail, Website)	Details of equipment for which the permission has been granted	Star level or efficiency level declared	BEE permission number and unique label series	Validity Period for which the permission has been granted
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Amount of label security deposit	Label security deposit received by (Electronic transaction (Details): Date:)	Application Fees details of Amount received (Electronic transaction (Details): Date:)
(8)	(9)	(10)

Number of labels affixed at the end of each financial year	Amount of labelling fee due	Labelling fee details of Amount received (Electronic transaction (Details): Date:)	Remarks
(11)	(12)	(13)	(14)

Form IV

[See sub-regulation (7) of regulation 7]

Declaration by permittee seeking continuation of the permission to affix label on the existing/ already approved model of Chillers

(For each different model, a separate letter shall be submitted along with respective Annexure)

(On the letter head of corporate body / Permittee)

Date:**To**

The Director General

Bureau of Energy Efficiency

(Ministry of Power, Government of India)

4th Floor, Sewa Bhawan,

Sector 1, R.K.Puram,

New Delhi-110 066

India.

Sub: Application for permission to affix label vide Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Chillers) Regulations, 2022 on revision of star level effective from

1. I/ We are the manufacturers / importers of Chillers carrying on business at [COMPANY NAME WITH FULL ADDRESS] under the style of [FULL NAME OF INDIVIDUAL OR FIRM] hereby apply for permission to affix label on Chillers as specified by the Bureau in the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Chillers) Regulations, 2022 which would go for revision of star level with effect from.....

2. The above equipment is manufactured or imported by [FULL NAME OF INDIVIDUAL OR FIRM] and is manufactured at (NAME AND ADDRESS OF FACTORY) or imported from (NAME AND ADDRESS OF IMPORTER);

3. Conformance to New star level: I/We conform to the table change as per TABLEas specified in the S.O. numberdated.....for Chillers. A copy of the Bureau's approval in respect of the above equipment (which was earlier approved) is enclosed.

4. A copy of the Bureau of Energy Efficiency Label (as per revision of star level change) in respect of the Chillers is enclosed.

5. Details of the Equipment / Model as per revision of star level

Model Name - _____

Particulars	Declared Values	
Cooling Capacity	--	
Total Power Consumption	--	
COP	--	
ISEER		
Star Rating	(As per existing star level)	(As per the revised star level)

6. I/We agree to change the star level from [EXISTING STAR LABEL LEVEL] To [REVISED STAR LABEL LEVEL] in manual application as well as in the online web portal.

7. I have submitted my quarterly production data and labelling fee till date for the said Chiller model.

8. I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/cooperation to the Bureau in case of any enquiry to be made by it.

9. I/We authorise the Bureau of Energy Efficiency for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.

10. I/We undertake that the information supplied in this application is accurate to the best of my/our knowledge, and should any of the information supplied is found to be incorrect, the application may be rejected forthwith.

Date:

Day of (Year)

Signature

Name

Designation

For and on behalf of.....

.....

(Name of the firm)

SEAL OF FIRM

FORM V

[See sub-regulation (5) of regulation 11]

Direction to permittee on failure of check testing

To

New Delhi, dated the....

.....

Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (**Particulars and Manner of their Display on Label of Chillers**) Regulations, 2022 you were permitted to affix label on the Chillers vide Bureau of Energy Efficiency letter No.dated..... subject to the compliance of the terms and conditions specified therein.

2. The results of the test report on the sample bearing unique identification serial number is enclosed. Verification testing of the chiller model indicated that the sampled Chiller failed to meet the energy performance norms (Cooling Capacity, Power Consumption, ISEER) and did not conform to the test details furnished by you in Form I annexed to the application submitted by you for seeking permission to affix label on the Chiller manufactured/imported by you. The verification results were sent to you *vide* the Bureau letter No.....dated.....in the name of your authorized contact person.

3. The test results of check testing are enclosed which are dully checked and counter signed by the competent authorized personnel of the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories accredited laboratory. The test report is also duly signed by your authorized signatory as witness of check testing activity. The test results conforms that they failed to meet the requisite parameters and standards given in S.O. number....dated, ...and the terms and conditions of the permission given to you for display of particulars on label affixed to the Chillers manufactured/imported and sold in the market.

4. The Bureau hereby directs you to correct the star level displayed on the label of the chillers or remove the defects and deficiencies found during testing; withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau; and change the particulars displayed on advertising material.

5. You are hereby directed to complete the aforesaid corrective action within two months from the date of issue of this letter and send the compliance report in Form VI within ten days after the expiry of two months, i.e., byIn case no compliance report is received by the said date, the Bureau shall proceed to take action under these regulations.

6. The Bureau shall take further follow up action in accordance with the provisions of these regulations.

Secretary,

Bureau of Energy Efficiency

Enclosures:

1. Test reports of the failed model
2. Correspondence with the manufacturer

Form VI**Action Taken Report**

[See sub-regulation (6) of regulation 11]

(To be furnished on letter head of the organisation)

To

Date:

The Secretary,

Bureau of Energy Efficiency

(Ministry of Power, Government of India)

4th Floor, Sewa Bhawan,

Sector 1, R.K.Puram,

New Delhi-110 066

India.

Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Chillers) Regulations, 2022, we M/s.....the manufacturer of Chillers were permitted to affix label on the Chiller conforming to the energy consumption standard ofstar level vide Bureau of Energy Efficiency letter No.....dated.....for the model number.....

Pursuant to the provisions of sub-regulation (5) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Chillers) Regulations, 2022, we were given directions vide Bureau of Energy Efficiency letter number.....dated..... to take necessary corrective action. In the light of directive issued by the Bureau, we hereby declare that the following actions have been taken at our end.

	Action Directed	Status	Action Taken
(i)	Correct the star level displayed on the label of the Chillers to comply with the directions of the Bureau	Yes/No/NA	The star level has been corrected from.....star to.....star with effect from (Date)
(ii)	Withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau. and	Yes/No/NA	All the stocks from the market have been withdrawn to comply with the directions of the Bureau.
(iii)	Change the particulars to be displayed on any chiller unit under manufacturing	Yes/No/NA	Yes/No/NA

The above declaration is true to the best of our knowledge and belief.

Signature.....

Name.....

Designation.....

For and on behalf of.....

Name of the Company/Firm etc

Seal of the Firm/Company